...यालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज...

अनवान– चरणजीत कौर पुत्री गुरबक्श सिंह पत्नि बलवन्त सिंह आदि बनाम छकिन्द्रसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह आदि

प्रार्थना पत्र अ०धा० 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर ....111.../2016

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियल जज	हुक्म तारीख व तामिल
23/11/16	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील अ०धा० 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित चक 4 जी०बी० का मु०न० 25 प०न० 130/378 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21, 22/2 का 1.0400 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 9, 12, 13/1, 18, 19, 22/1, 23 का 1.616 हैक्टर, मु०न० 36 प०न० 130/379 का किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 13/1, 19, 20 का 2.232 हैक्टर भूमि या इसके किसी भाग को अन्य को रहन, बैय या अन्य प्रकार से अन्तरित करने, इसमें मिटटी आदि उठाकर किसी प्रकार गडडे बनाने या विषैले पदार्थ डालकर या अन्य प्रकार से भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट करने या भूमि को खुर्द–बूर्द करने, इसमे स्थापित किसी सुविधा को बाधित या बंद या अन्य ऐसा कोई कार्य करने से जिससे प्रार्थीगण को काश्त में परेशानी हो को स्वंय या अपने किसी प्रतिनिधि से करवाने से बाज ममून रहे। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा चक 4 जी०बी० का मु०न० 25 प०न० 130/378 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21, 22/2 का 1.0400 हैक्टर नहरी व किला नम्बर 9, 12, 13/1, 18, 19, 22/1, 23 का 1.616 हैक्टर, मु०न० 36 प०न० 130/379 का किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 12, 13/1, 19, 20 का 2.232 हैक्टर भूमि में मिट्टी उठाकर किसी प्रकार के गड्डे आदि नही बनाये तथा मौका एव रिकार्ड की यथारिथति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/12/16 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इतिशिंयल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म ... में ...
17.9.19	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। बहस हेतु पत्रावली दिनांक 01/10/2019 को पेश हो। Priyanka	
01.10.19	पत्रावली पेश। बार संघ द्वारा कार्य स्थगित रखा है पत्रावली प्रतीक्षार्थ दिनांक 14.10.2019 को पेश हो। Priyanka	
14/10/19	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित उपस्थित। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश के दिनांक 21/10/2019 को पेश हो। Priyanka	
21/10/19	पत्रावली पेश। वकील उपस्थित उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि 24/10/19 को पेश हो। Priyanka	
24.10.19	पत्रावली पेश वकील उपस्थित उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी पत्रावली का [illegible] अ. धारा 212 RT प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] है। [illegible] निर्णय पृथक से लिखा गया पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] आदेश सुनाया गया। Priyanka प्रियंका [illegible] (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Scanned by CamScanner